

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 625]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 नवम्बर 2018—अग्रहायण 5 शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2018

फा. क्रमांक 5177-2018-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2, सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रदेश के होशंगाबाद जिले से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेषित संलग्न सूची के अनुसार विधान सभा निर्वाचन 2018 के लिये सेक्टर आफिसर/जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त अधिकारियों को विधान सभा निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है, और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

विधान सभा निर्वाचन के दौरान असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु पर्याप्त संख्या में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की आवश्यकता के लिये जिले में अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त किये जाने के संबंध में पूर्ण विवरण सहित निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव चाहे गये हैं. जिसके तारतम्य में इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1215/ईएस/निर्वा./2018, दिनांक 4-9-2018 के द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं. प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के उपरांत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 139 पिपरिया के सेक्टर क्रमांक 18 में नियुक्त सेक्टर आफिसर श्री योगेश सिंह, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, होशंगाबाद के स्थान पर श्री सलमान हैदर, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, होशंगाबाद को नियुक्त किया गया है.

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
होशंगाबाद